

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग(राज0)

प्र0सं0 03/2023 (जी.सी.एम.एस.नम्बर:2023/68)

व इजलास:- डॉ.रवि कुमार गोयल
(R.A.S)

उनवान

गिराज प्रसाद पुत्र जुगल जाति खटीक निवासी जनूथर तहसील डीग जिला डीग हाल नि0 30
शांतिकुंज अलवर जिला अलवर (राज0)

—प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जनूथर जिला डीग (राज0)

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 एल.आर.एक्ट,
सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी

निर्णय

दिनांक: 31.07.2024

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 एल.आर.एक्ट,(सीमांकन एवं पत्थरगढी) इस आशय का पेश किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 1284/0.32,बा.प्र.(3825/1284/0.0437), 3827/3826/0.1225 गै.मु. पैट्रॉल पम्प, 2828/3826/0.1538 वाके ग्राम जनूथर तहसील जनूथर में स्थित आराजी प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है। प्रार्थी के द्वारा खसरा नम्बर 3827/3826 में पैट्रॉल पम्प लगाया जाना प्रस्तावित है और उक्त खसरा नम्बर 1284/0.32 हैक्टे0 को खसरा नम्बर 3825/1284 और 3826/1284 में रास्ता व पैट्रॉल पम्प के लिए समर्पण किया गया। प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 1284/0.32 स्थित ग्राम जनूथर तहसील डीग की आराजी में पैट्रॉल पम्प के लिए आवेदन करने पर पैट्रॉल पम्प के लिए समर्पित की गई थी और जब प्रार्थी को जब पैट्रॉल पम्प आवंटित हुआ था। आई.एल.आर. सिनसिनी व जनूथर द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1284/0.32 से विभाजित किये गये। 3825/1284 व 3826/1284 की सीमाज्ञान करने के पश्चात और मौके पर सीमाचिन्ह लगाने के बाद सीमाचिन्ह नष्ट कर दिये गये तथा पत्थरगढी भी नहीं करने दे रहे है। अतः निवेदन है कि आराजी खसरा नम्बर 1284 से बने नये खसरा 3825/1284, 3827/3826, 3828/3826 कुल रकबा 0.32 हैक्टे0 भूमि की सीमाज्ञान कराकर उक्त भूमि में प्रार्थी को पत्थरगढी कराने के आदेश दिये जावें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया जाकर रिपोर्ट तलब की गई। रिपोर्ट तहसीलदार जनूथर में वर्णित किया गया है कि गिराज प्रसाद पुत्र जुगलकिशोर ग्राम जनूथर के आराजी खसरा नम्बर 3828/3826 रकबा 0.1538 किस्म बारानी प्रथम खसरा नम्बर 3827/3826 रकबा 0.1225 किस्म गै.मु. पैट्रॉल पम्प खसरा नम्बर 3825/1284 रकबा 0.0437 किस्म गै.मु. रास्ता (जोकि पूर्व में खसरा नम्बर 1284/0.32 हैक्टे0) की राजस्व रिकार्ड की स्थिति अनुसार खसरा नम्बर 3827/3826/0.1225 किस्म गै.मु. पैट्रॉल पम्प गिराज प्रसाद पुत्र जुगल हिस्सा पूर्ण जाति खटीक सा0जनूथर खातेदार तथा खसरा नम्बर 3828/3826/0.1538 किस्म बारानी प्रथम गिराज प्रसाद पुत्र जुगल हिस्सा पूर्ण जाति खटीक सा0जनूथर खातेदार एवं खसरा नम्बर 3825/1284/0.0437 किस्म गै.मु. रास्ता काश्तकार राज.सरकार दर्ज



Ram
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.


रिकार्ड है। खसरा नम्बर 3827/3826 व खसरा नम्बर 3827/3826 पर गिराज प्रसाद पुत्र जुगल का पूर्ण कब्जा है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 एल.आर.एक्ट, स्वीकार किया जाकर आराजी ख0 नम्बरान 1284 से बने नये खसरा 3825/1284, 3827/3826, 3828/3826 कुल रकबा 0.32 हैक्टे0 भूमि की सीमाज्ञान कराकर उक्त भूमि में प्रार्थी को पत्थरगढी कराने के आदेश दिये जावें।

पत्रावली पर उपलब्ध सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड तहसीलदार जनूथर से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन व वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 एल.आर.एक्ट, स्वीकार किया जाकर हम हाल आराजी खसरा नम्बर 1284 से बने नये खसरा नम्बरान 3825/1284, 3827/3826, 3828/3826 कुल रकबा 0.32 हैक्टे0 वाके ग्राम जनूथर तहसील जनूथर का सीमाज्ञान/पत्थरगढी कायम किये जाने के आदेश दिया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि:-

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128,111 एल.आर.एक्ट,स्वीकार किया जाता है। हाल आराजी खसरा नम्बर 1284 से बने नये खसरा नम्बरान 3825/1284, 3827/3826, 3828/3826 कुल रकबा 0.32 हैक्टे0 वाके ग्राम जनूथर तहसील जनूथर का सीमाज्ञान/पत्थरगढी कायम किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। निर्णयानुसार तहसीलदार जनूथर नियमानुसार कार्यवाही संपादित करावें।


(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी,
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।




(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.